अखिल भारतीय प्री–मेडिकल/प्री–डेन्टल
प्रवेश परीक्षा, 2012

सूचना बुलेटिन एवं आवेदन पत्र

प्रारंभिक परीक्षा	01.04.2012 (रविवार)
अंतिम परीक्षा	13.05.2012 (रविवार)

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
शिक्षा केन्द्र, 2, समुदाय केन्द्र,
प्रीत विहार, दिल्ली–110301

महत्वपूर्ण अनुदेश :

उम्मीदवारों को सूचना बुलेटिन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करने और जानकारी प्राप्त करना अपेक्षित है।

1. उम्मीदवार एआईपीएमटी–2012 के लिए केवल ऑन लाइन आवेदन कर सकते हैं।
2. सूचना बुलेटिन वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है।
3. आवेदन फार्म ऑनलाइन प्रस्तुत करने के लिए बोर्ड की वेबसाइट www.aipmt.nic.in पर जाएं। ऑनलाइन आवेदन फार्म प्रस्तुत करने संबंधी अनुदेश सूचना बुलेटिन में वेबसाइट www.aipmt.nic.in पर उपलब्ध है।
4. उम्मीदवारों को सूचना बुलेटिन में तथा वेबसाइट पर दिए गए अनुदेशों का सख्ती से पालन करना चाहिए। अनुदेशों का पालन न करने वाले उम्मीदवारों को सरसरी तौर पर अयोग्य कर दिया जाएगा।
5. **उम्मीदवारों को निम्नलिखित दस्तावेज अपने संदर्भ के रूप में भविष्य में पत्राचार के लिए रखने चाहिए।**

   (i) कम्प्यूटर सर्जित आवेदन फार्म के कम से कम पांच प्रिंटआउट।
   (ii) आवेदन फार्म भेजने पर पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी मूल रसीद।
   (iii) प्रदत्त शुल्क का प्रमाण

6. **(क) प्रिंटआउट आवेदन फार्म/पुष्टिकरण पृष्ठ भेजने से पहले कृपया सुनिश्चित करें किः**

   (i) आवेदक ने फार्म में नियत स्थान पर हस्ताक्षर कर दिए हैं।
   (ii) आवेदन पर माता–पिता/अभिभावक के हस्ताक्षर हैं।
   (iii) आवेदन संस्थान के प्रमुख/राजपत्रित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित/अधिप्रमाणित कराया गया है।
   (iv) सफेद पृष्ठभूमि वाले दो अच्छी कोटि के एक जैसे रंगीन स्टुडियो फोटोग्राफ (01.10.2011 के बाद लिए गए हों) चिह्नित स्थान पर विधिवत रूप से चिपकाए गए हैं। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि दोनों फोटोग्राफ के पीछे आवेदन फार्म संख्या एवं उम्मीदवार का नाम लिख दिया गया है।

   (ख) कृपया दस्तावेज निम्नलिखित क्रम में व्यवस्थित किए जाएंः–

क्र. सं.	**ऑनलाइन प्रस्तुति**
(i)	मांग ड्राफ्ट
(ii)	कम्प्यूटर सर्जित आवेदन फार्म
(iii)	शपथ पत्र (आंध्र प्रदेश तथा जम्मू एवं कश्मीर के

	उम्मीदवारों से)

(ग) कम्प्यूटर सर्जित पुष्टिकरण पृष्ठ प्रेषित करने के लिए, किसी अच्छे गुणवत्ता के ए5 आकार के लिफाफे का प्रयोग करें और लिफाफे पर कम्प्यूटर सर्जित बोर्ड की पता पर्ची चिपकाएं।

7. उम्मीदवारों को कॉलेज/संस्थान में प्रवेश लेने तक प्रवेश पत्र को सुरक्षित रखना चाहिए।

8. कम्प्यूटर सर्जित पुष्टिकरण पृष्ठ/आवेदन फार्म केवल पंजीकृत/स्पीड डाक द्वारा निम्न पते पर भेजना चाहिएः–

उप–सचिव (एआईपीएमटी)
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,
शिक्षा केन्द्र, 2, समुदाय केन्द्र,
प्रीत विहार, दिल्ली–110301

विशेष टिप्पणी :

1. एआईपीएमटी 2012 दो स्तर पर आयोजित होगी – प्रारंभिक तथा अंतिम परीक्षा। दोनो वस्तुनिष्ठ होंगी।
2. प्रारंभिक और अंतिम दोनों परीक्षाओं के लिए केवल एक आवेदन प्रस्तुत करना है।
3. आवेदन फार्म प्राप्ति की सूचना समय–समय पर वेबसाइट **www.aipmt.nic.in** पर डाली जाएगी। उम्मीदवार अपने आवेदन की प्राप्ति की जांच कर सकता है और प्रस्तावित कार्रवाई कर सकता है।
4. प्रारंभिक परीक्षा दिनांक 01.04.2012 (रविवार) को आयोजित होगी।
5. अंतिम परीक्षा दिनांक 13.05.2012 को केवल उनके लिए आयोजित होगी जो प्रारंभिक परीक्षा में अर्हता प्राप्त करते हैं।
6. अंतिम परीक्षा के लिए अलग से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।
7. प्रारंभिक और अंतिम परीक्षा के लिए परीक्षा केन्द्रों का विकल्प/पसंद अलग से दर्शाने है। सभी केन्द्र विकल्प/पसंद उपलब्ध कराने चाहिए।
8. प्रारंभिक परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवार अंतिम परीक्षा के लिए अलग प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। सुसंगत सूचना वेबसाइट **www.aipmt.nic.in** पर भी डाली जाएगी।
9. अद्यतन जानकारी के लिए उम्मीदवारों को दोनों परिणाम घोषित होने तक वेबसाइट **www.aipmt.nic.in** के सम्पर्क में रहना चाहिए और काउंसलिंग

के दूसरे दौर के समाप्त होने तक **www.mohfw.nic.in** के सम्पर्क में रहना चाहिए।

सूचना बुलेटिन
अखिल भारतीय प्री–मेडिकल/प्री–डेन्टल प्रवेश परीक्षा, 2012

1. परिचय

भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, दिल्ली 1988 से अखिल भारतीय प्री–मेडिकल/प्री–डेन्टल प्रवेश परीक्षा, 2012 का आयोजन कर रहा है। प्रवेश परीक्षा विशिष्ट रूप से भारत के मेडिकल/डेन्टल कॉलेजों की 15% सीटों के लिए आयोजित की जा रही है जैसाकि भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों में विनिर्दिष्ट है और भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा समय–समय पर इसके लिए विनिर्दिष्ट नियमों एवं विनियमों द्वारा शासित हैं। केमाशिबो का उत्तरदायित्व अनुदेशों के अनुसार प्रवेश परीक्षा आयोजित करने, परिणाम की घोषणा करने और डीजीएचएस को मेरिट सूची उपलबध कराने तक सीमित है। सफल उम्मीदवारों के लिए काउंसलिंग डीजीएचएस द्वारा आयोजित की जाती है। काउंसलिंग के दौरान, उम्मीदवार की पात्रता मापदंड, विभिन्न दस्तावेजों इत्यादि का सत्यापन किया जाता है और पसंद के अनुसार उम्मीदवार को मेडिकल/डेन्टल कॉलेज आबंटित किया जाता है।

2. संक्षिप्त नाम

इन नियमों को अखिल भारतीय प्री–मेडिकल/ प्री–डेन्टल प्रवेश परीक्षा नियम कहा जाएगा।

3. परिभाषाएं

i. ‘‘**सरकार**’’ का आशय भारत सरकार से है।

ii. ‘‘**मंत्रालय**’’ का आशय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली से है।

iii. ‘‘**डीजीएचएस**’’ का आशय डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ हैल्थ सर्विस, नई दिल्ली से है।

iv. ‘‘**बोर्ड**’’ का आशय केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दिल्ली से है।

v. ‘‘मेडिकल परीक्षा एवं एआईजीएमटी’’ का आशय अखिल भारतीय प्री–मेडिकल/प्री–डेन्टल प्रवेश परीक्षा से है।

vi. ''**अर्हकारी परीक्षा**'' का आशय वह परीक्षा जिसके परिणाम के आधार पर उम्मीदवार अखिल भारतीय प्री–मेडिकल/प्री–डेन्टल प्रवेश परीक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन करने का पात्र बनेगा''।

vii. ''**नियम**'' का आशय भारत के माननीय उच्चतम न्यायलय के साथ–साथ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के निर्देशों के तहत इस परीक्षा के आयोजन हेतु केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट नियमों से है।

viii. ''**अनु. जाति**'' का आशय भारत सरकार द्वारा यथानिर्दिष्ट और निर्धारित अनु. जातियों से है।

ix. ''**अनु. जनजाति**'' का आशय भारत सरकार द्वारा यथानिर्दिष्ट और निर्धारित अनु. जनजातियों से है।

x. ''**अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी)**'' का आशय भारत सरकार द्वारा यथानिर्दिष्ट और निर्धारित अन्य पिछड़ा वर्ग से है।

xi. ''**विकलांग**'' का आशय भारत सरकार द्वारा यथानिर्दिष्ट और निर्धारित विकलांग व्यक्ति से है।

xii. ''**परिषद**'' का आशय भारतीय चिकित्सा परिषद और भारतीय दंत्य परिषद से है।

xiii. ''**पात्र उम्मीदवार**'' का आशय से उम्मीदवार जो एम.सी.आई. और डी.सी. आई. द्वारा निर्धारित अनुसार पात्रता की अपेक्षा को पूरा करने से है।

4. एआईपीएमटी 2012 का पैटर्न

(i) प्रवेश परीक्षा में शामिल है :

- **प्रारंभिक परीक्षा :**

प्रारंभिक परीक्षा में भौतिकी, रसायन विज्ञान तथा जीव विज्ञान (वनस्पति विज्ञान और प्राणि–विज्ञान) से 200 वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों (एक सही उत्तर के साथ चार विकल्प) का एक प्रश्न पत्र होगा जिनके उत्तर केवल बॉल पाइंट पैन का प्रयोग करते हुए विशिष्ट रूप से तैयार की गई मशीन–श्रेणीकृत (ग्रेडेबल) शीट पर देने हैं।

पेपर की अवधि 3 घण्टे की होगी।

- **अंतिम परीक्षा :**

(केवल प्रारंभिक परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने वालों के लिए)

अंतिम परीक्षा में भौतिकी, रसायन विज्ञान तथा जीव विज्ञान (वनस्पति विज्ञान और प्राणि–विज्ञान) से 120 वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों (एक सही उत्तर के साथ चार विकल्प) का एक प्रश्न पत्र होगा जिनके उत्तर केवल बॉल पाइंट पैन का प्रयोग करते हुए विशिष्ट रूप से तैयार की गई मशीन–श्रेणीकृत (ग्रेडेबल) शीट पर देने हैं।

पेपर की अवधि 3 घण्टे की होगी।

(ii) **प्रश्न पत्रों की भाषा**

उम्मदीवार प्रश्न पत्रों को **अंग्रेजी** अथवा **हिंदी** में चुन सकते हैं। ये विकल्प आवेदन पत्र भरते समय दिया जाना चाहिए। इसे बाद में नहीं बदला जा सकता है। **अंग्रेजी चुनने वाले उम्मीदवारों को परीक्षा पुस्तिका केवल अंग्रेजी में और हिंदी चुनने वाले उम्मीदवारों को परीक्षा पुस्तिका हिंदी और अंग्रेजी दोनों में अर्थात द्विभाषी उपलब्ध कराई जाएगी।**

5. **परीक्षा की सारणी**

- **प्रारंभिक परीक्षा** अप्रैल 01, 2012 **(रविवार)** 10.00पूर्वा0 से 1.00 अप0 तक
- **अंतिम परीक्षा** मई 13, 2012 **(रविवार)** 10.00पूर्वा0 से 1.00 अप0 तक

सारणी अपरिवर्तित रहेगी चाहे उपर्युक्त में से किसी भी तिथि को सार्वजनिक छुट्‌टी घोषित कर दी जाए।

6. **परीक्षा के लिए पाठ्‌यक्रम**

प्रारंभिक और अंतिम दोनों के लिए पाठ्‌यक्रम सामान्य है। कृपया ब्योरे के लिए **परिशिष्ट–1** देखें।

7. **परीक्षा के लिए केन्द्र**

(i) उन शहरों की सूचियों जहां प्रारंभिक एवं अंतिम परीक्षा आयोजित की जाएंगी क्रमशः **परिशिष्ट II एवं परिशिष्ट III** में दी गई है।

(ii) उम्मीदवार को प्रारंभिक परीक्षा के लिए **तीन सुविधाजनक शहर कोडों का चयन परिशिष्ट–II** से और अंतिम परीक्षा के लिए **दो शहर कोडो का चयन परिशिष्ट –III** से करना चाहिए।

(iii) यद्यपि उम्मीदवार द्वारा चुने गए स्थानों में से केन्द्र आबंटित किया जाएगा फिर भी, उम्मीदवार की पसंद के अलावा केन्द्र आबंटित करने का विवेक बोर्ड को है।

(iv) केन्द्र का आबंटन कम्प्यूटर द्वारा किया जाता है और कोई मानवीय हस्तक्षेप नहीं है। **किसी भी परिस्थिति में बोर्ड द्वारा आवेदन पत्र में भरे गए केन्द्र शहरों की पसंद में परिवर्तन नही किया जाएगा।**

(v) उम्मीदवारों को केन्द्र का आबंटन वास्तविक शुल्क (अर्थात 26.12.2011 से 25. 01.2012) और विलम्ब शुल्क (अर्थात 26.01.2012 से 8.02.2012) के साथ अपने आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर कम्प्यूटर के माध्यम से उनके आवेदन पत्रों में भरे गए तीन सुविधाजनक शहर कोडों के अनुसार किया जाएग।

(vi) द्वितीय विलम्ब शुल्क (09.02.2012 से 24.02.2012 तक) के साथ आवेदन पत्र भेजने वाले उम्मीदवारों को केवल दिल्ली में केन्द्र आबंटित किया जाएगा।

8. पात्रता एवं योग्यताएं

(i) वह प्रवेश के समय 17 वर्ष आयु पूरी कर चुका/चुकी हो अथवा प्रथम वर्ष एमबीबीएस/बीडीएस कोर्स में उसके प्रवेश के वर्ष के 31 दिसम्बर को या उससे पहले आयु पूरी कर लेगा/लेगी और भारतीय नागरिक हो।

(ii) अखिल भारतीय प्री–मेडिकल/प्री–डेन्टल प्रवेश परीक्षा के लिए ऊपरी आयु सीमा प्रवेश परीक्षा के वर्ष के 31 दिसम्बर को 25 वर्ष है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछला वर्ग के उम्मीदवारों के लिए अपनी आयु सीमा में 5 (पांच) वर्ष की छूट दी जाएगी। उम्मीदवार का जन्म निम्नलिखित तिथियों को होना चाहिएः

(क) 01.01.83 से 01.01.96 (अ.जा/अ.ज.जा/अ.पि.व श्रेणी)
(ख) 01.01.88 से 01.01.96 (अन्य श्रेणी)

(iii) आन्ध्र प्रदेश/जम्मू एवं कश्मीर राज्यों के छात्र पात्र नहीं है क्योंकि इन राज्यों ने अखिल भारतीय योजना को इसके आरंभ से ही नहीं चुना था। यदि वे पात्रता का दावा करते हैं तो उन्हें मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट/प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष विधिवत शपथ द्वारा अनुप्रमाणित रु0 10/– के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर प्रपत्र में एक शपथ पत्र मूल रूप से इस आशय के लिए प्रस्तुत करना चाहिए कि :

क) वे आन्ध्र प्रदेश/जम्मू एवं कश्मीर राज्यों में एमबीबीएस/बीडीएस सीटों के लिए शामिल होने के पात्र नहीं है और इस प्रकार आन्ध्र प्रदेश/ जम्मू एवं कश्मीर के मेडिकल/डेन्टल कालेजों में प्रवेश प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं है।

और

ख) वे आन्ध्र प्रदेश/ जम्मू एवं कश्मीर में अधिवासी नहीं है।

टिप्पणीः आवेदनों को जिनके साथ अपेक्षित शपथ पत्र न होने पर अथवा अधूरा, अनुप्रमाणित रहित, अथवा शपथ पत्र की फोटोकापी लगाने पर बिना किसी आगे संदर्भ के सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा। ऐसे उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्रों का सत्यापन किया जाएगा और असत्य पाये जाने पर ऐसे सभी उम्मीदवारों के प्रवेश रद्द कर दिए जाएंगे और उनके विरूद्ध आपराधिक कार्यवाही आरंभ की जाएगी।

शपथ पत्र के प्रपत्र के लिए कृपया परिशिष्ट IV देखें।

(iv) योग्यताएं और अर्हक परीक्षा कोड :

कोड : 01

12 वर्षीय अध्ययन की अवधि के बाद उच्चतर/वरिष्ठ माध्यमिक परीक्षा अथवा भारतीय विद्यालय प्रमाण पत्र परीक्षा जो 10+2 उच्चतर/वरिष्ठ माध्यमिक परीक्षा के समकक्ष हो, इस अध्ययन के अंतिम दो वर्षों में भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान/जैव–प्रौद्योगिकी (इन विषयों ने प्रायोगिक परीक्षण भी शामिल होंगे) और गणित अथवा कोई अन्य वैकल्पिक विषय अंग्रेजी के साथ जो अंग्रेजी के लिए कोर कोर्स से कम स्तर का नहीं हो जैसा कि राष्ट्रीय शिक्षा परिषद द्वारा संस्तुत अनुसार 10+2+3 शिक्षा ढांचा के लागू होने के बाद भारतीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा निर्धारित है।

टिप्पणी : जहां राष्ट्रीय परिषद के 10+2 शिक्षा ढांचा के लिए निर्धारित अनुसार कोर्स सार नहीं हो, उम्मीदवारों को मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश से पहले एक वर्षीय अवधि का प्री–व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा।

अथवा

कोड : 2

भारतीय विश्वविद्यालय/बोर्ड अथवा अन्य मान्यता प्राप्त परीक्षा निकाय की भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान/जैव–प्रौद्योगिकी (इन विषयों में प्रायोगिक परीक्षण शामिल होगा) और अंग्रेजी सहित विज्ञान में प्री–डिग्री परीक्षा/इन्टरमीडियट

अथवा

कोड : 3

उच्चतर माध्यमिक परीक्षा अथवा प्री–यूनिवर्सिटी अथवा समकक्ष परीक्षा उर्त्तीण करने के बाद भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान/जैव–प्रौद्योगिकी और अंग्रेजी के साथ प्री–प्रोफेशनल/प्री–मेडिकल परीक्षा। प्री–प्रोफेशनल/प्री–मेडिकल परीक्षा के इन विषयों में प्रायोगिक परीक्षण भी शामिल होंगे।

अथवा

कोड : 4

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के तीन वर्षीय डिग्री कोर्स का प्रथम वर्ष भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान/जैव–प्रौद्योगिकी तथा इन विषयों में प्रायोगिक परीक्षण शामिल है बशर्ते कि परीक्षा एक विश्वविद्यालय परीक्षा हो और इसके अलावा उसने भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान/जैव–प्रौद्योगिकी और अंग्रेजी के साथ पूर्व अर्हक परीक्षा उर्त्तीण हो।

अथवा

कोड : 5

भारतीय विश्वविद्यालय की बीएससी परीक्षा बशर्ते कि उसने बीएससी परीक्षा भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान (वनस्पति विज्ञान प्राणी विज्ञान)/जैव–प्रौद्योगिकी विषयों में से कम से कम दो के साथ उत्तीर्ण की हो और इसके अलावा उसने पूर्व अर्हक परीक्षा भौतिकी, रसायन विज्ञान जीव विज्ञान और अंग्रेजी के साथ उत्तीर्ण की हो।

अथवा

कोड :6

अन्य कोई परीक्षा जो विस्तार और स्तर में (10+2 अध्ययन के अंतिम दो वर्षों में भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान/जैव–प्रौद्योगिकी शामिल है; इन विषयों में प्रायोगिक परीक्षण शामिल होंगे।) भारतीय विश्वविद्यालय/बोर्ड इन्टरमीडियट विज्ञान परीक्षा जो भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान/जैव–प्रौद्योगिकी प्रायोगिक परीक्षा सहित तथा अंग्रेजी विषय के समक्ष पाई जाती है।

अथवा

कोड : 7

ऐसा उम्मीदवार जो 2012 में अर्हक परीक्षा अर्थात 12वीं कक्षा में शामिल हो रहा हो जिसका परिणाम प्रतीक्षित हो, आवेदन कर सकता है और उक्त परीक्षा देता है किंतु वह एमबीबीएस अथवा बीडीएस में प्रवेश के लिए पात्र नहीं होगा, यदि वह व्यक्तिगत उपस्थिति द्वारा पहले दौर के आबंटन के समय अंकों के अपेक्षित उत्तीर्ण प्रतिशतता के साथ अर्हक परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करता है। बशर्ते की प्रतियोगी प्रवेश परीक्षा के लिए पात्र होने के लिए, उम्मीदवार को ऊपर बताई गई कोई भी अर्हक परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। इसके अलावा प्रतियोगी प्रवेश परीक्षा के लिए पात्र होने के लिए उम्मीदवार को भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान/जैव–प्रौद्योगिकी और अंग्रेजी विषयों में अलग–अलग उत्तीर्ण होना होगा और अर्हक परीक्षा में भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान/जैव–प्रौद्योगिकी में एक साथ न्यूनतम 50% अंक प्राप्त करने चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पिछडा वर्ग के उम्मीदवारों के संबंध में, भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान/जैव–प्रौद्योगिकी में प्राप्त अंक अर्हक परीक्षा और प्रतियोगी प्रवेश परीक्षा (भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान) में एक साथ सामान्य उम्मीदवार के लिए 50% के बजाय 40% अंक हो। निचले अंकों की गतिक अशक्ता वाले व्यक्तियों के लिए सामान्य–शा.वि. के लिए न्यूनतम 45% और अ.ज.–शा.वि./अ.ज.जा–शा.वि. /अ.पि.व.–शा.वि. के लिए न्यूनतम 40% अंक अपेक्षित हैं। परन्तु यह कि

भारत में मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश लेने वाले विदेश में शिक्षित भारतीय राष्ट्रीयता के छात्रों को 12वीं कक्षा तक भौतिकी रसायन विज्ञान जीव विज्ञान/जैव प्रौद्योगिकी तथा अंग्रेजी विषय 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए और उनकी समकक्षता भारतीय चिकित्सा परिषद और संबंधित विश्वविद्यालय की नियमावली के अनुसार निर्धारित की जानी चाहिए। यदि कोई उम्मीदवार कोड सं0 01–06 के अनुसार निर्धारित योग्यताओं के तहत नहीं आता है, उसे पात्रता का निर्धारण करने के लिए पूरा ब्योरा प्रस्तुत करना चाहिए।

(v) **आरक्षण**

15% अखिल भारतीय कोटा में निम्नलिखित ब्योरे अनुसार आरक्षण होगा :

(क) 15% सीटें अ.जा. उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं।

(ख) 7.5% सीटें अ.ज.जा. उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं।

(ग) 27% सीटें गैर–नवोन्नत अ.पि.व. उम्मीदवारों के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय आदेश दिनांक 10.04.2008 के अनुसार केवल केन्द्रीय शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षित हैं। अ.पि.व. की केन्द्रीय सूची में दर्शाई गई जातियों के लिए आरक्षण लागू होगा। इस प्रकार इस सूची में आने वाले उम्मीदवारों को आवेदन पत्र में श्रेणी कॉलम में अ.पि.व दर्शाना है। **नवोन्नत वर्ग (क्रीमी लेयर) के ओर केन्द्रीय सूची में न आने वाले उम्मीदवारों को अपनी श्रेणी सामान्य दर्शाने की सलाह दी जाती है।**

(घ) 3% सीटें विकलांग उम्मीदवारों के लिए समस्तर आधार पर आरक्षित हैं। 15% अखिल भारतीय यूजी कोटा सीट में विकलांग व्यक्तियों (50% से 70% के बीच केवल निचले अंगों की गतिक निशक्तताओं के लिए बशर्ते कि यदि 50% से 70% के बीच केवल निचले अंगों की गतिक निशक्तता वाले उम्मीदवारों की अनुपलभ्यता के कारण इस 3% कोटा में यदि कोई सीट खाली रहती है तब इस 3% कोटा में ऐसे खाली सीट को संबंधित श्रेणी की सीटों में शामिल करने से पहले 40% से 50% के बीच निचले अंगों की गतिक निशक्तता वाले व्यक्तियों द्वारा भरा जाएगा) के लिए 3% समस्तर आरक्षण है। इस संबंध में विस्तृत सूचना स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट www.mohfw.nic.in पर उपलब्ध है। इस श्रेणी के लिए स्वयं को पात्र समझने वाले उम्मीदवारों को किसी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय/जिला अस्पताल/सरकारी अस्पताल में स्वंय की जांच करवाकर अपनी पात्रता सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है। तथापि, उम्मीदवार यह भी ध्यान दें कि पीएच (विकलांग) श्रेणी के तहत चयन के मामले में उन्हें अपनी काउंसलिंग की नियत तिथि से पहले नीचे दर्शाए गए चार

महानगरों में गठित किसी एक निशक्तता निर्धारण बोर्डों से निशक्तता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित होगाः

(i) वर्धमान महावीर चिकित्सा महाविद्यालय एवं सफदरजंग अस्पताल, अंसारी नगर, रिंग रोड, नई दिल्ली (दूरभाष : 011–26190763 तथा 26163072)

(ii) अखिल भारतीय प्राकृतिक औषध एवं पुनर्वास संस्थान, हाजी अली पार्क, खाद्यमार्ग, महालक्ष्मी, मुम्बई–400034 (दूरभाष : 022–23544341)

(iii) स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, 244, आचार्य जेसीबोस मार्ग, कोलकाता–20 (दूरभाष : 033–22235181)

(iv) मद्रास चिकित्सा महाविद्यालय, पार्क टाउन, चेन्नै –600003 (दूरभाष : 044–25305301)

आरक्षण 2200 पाईंट आरक्षण रोस्टर के अनुसार किया जाएगा। आरक्षण के कार्यान्वयन की विधि डीजीएचएस की वेबसाइट www.mohtw.nic.in पर उपलब्ध होगी।

टिप्पणी :

(क) प्री–मेडिकल कोर्स मेडिकल कॉलेज में अथवा साईंस कॉलेज में आयोजित किया जा सकता है।

(ख) 10+2 कोर्स लागू होने के बाद एकीकृत कोर्स समाप्त किया जाए।

(ग) गणित में प्राप्त अंकों पर एमबीबीएस कोर्स में प्रवेश के लिए विचार नहीं करना है।

(घ) 15% अखिल भारतीय कोटा योजना के तहत प्रवेश लेने वाले छात्रों पर राज्य पात्रता/मापदंड लागू नहीं होगा।

9. आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की विधि

उम्मीदवार अखिल भारतीय प्री–मेडिकल/प्री–डेन्टल प्रवेश परीक्षा के लिए www.aipmt.nic.in पर लॉगिंग करके **'केवल आनलाइन'** आवेदन कर सकता है।

आवेदन पत्र प्रस्तुत करने से पहले, निम्नलिखित तैयारियां करें :

(i) शुल्क के भुगतान करने की विधि का निर्णय करें अर्थात ऑनलाइन प्रवेशद्वार भुगतान सुविधा का प्रयोग करके डेबिट/क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अथवा मांग ड्राफ्ट के माध्यम से।

(क) यदि डेबिट/क्रेडिट कार्ड के माध्यम से शुल्क भुगतान करने का निर्णय किया है तो कार्ड की वैधता की जांच करें और आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के लिए वेबसाइट पर लॉगिंग करते समय इसे तैयार रखें।

(ख) यदि शुल्क का भुगतान मांग ड्राफ्ट द्वारा करने का निर्णय किया है तो इसे किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से **सचिव, सीबीएसई के नाम दिल्ली में देय** लागू शुल्क का बनवाएं। मांग ड्राफ्ट के पीछे अपना नाम पता, संपर्क नं० और आवेदन पत्र सं० लिखें।

शुल्क का ब्योरा इस प्रकार है :

	बिना विलम्ब शुल्क के शुल्क	**प्रथम विलम्ब शुल्क के साथ शुल्क**	**दूसरे विलम्ब शुल्क के साथ शुल्क**
अवधि	**26.12.2011 से 25.01.2012**	**26.01.2012 से 08.02.2012**	**09.02.2012 से 24.02.2012**
सामान्य/अ.पि.व के लिए	रु. 1000/–	रु. 1500/– (रु. 1000+500)	रु. 2000/– (रु. 1000+1000)
अ.जा./अ.ज.जा. /विक.	रु. 550/–	रु. 1050/– (रु. 550+500)	रु. 1550/– (रु. 550+1000)
केमाशिबो में पुष्टिकरण पृष्ठ / आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि	**02.02.2012**	**15.02.2012**	**02.03.2012**

टिप्पणी :

- परीक्षा शुल्क के अलावा डेबिट/क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन शुल्क भुगतान के लिए उम्मीदवार को लागू सेवा कर सहित सेवा/प्रक्रमण प्रभार भी देना होगा। इसका ब्योरा बोर्ड की वेबसाइट पर उपलबध है।
- कार्ड द्वारा 'डबल' भुगतान के मामले में, वापसी के लिए केवल 15 मार्च, 2012 के बाद विचार किया जाएगा। इसके लिए उप सचिव (एआईपीएमटी) को 'डबल' भुगतान का प्रमाण संलग्न करते हुए लिखित में आवेदन किया जा सकता है।

(ii) भरी जाने वाली अपेक्षित सूचना भी तैयार रखें ।

आवेदन प्रस्तुत करने की पद्धति निम्नलिखित है:

(i) वेबसाइट www.aipmt.nic.in पर लॉगआन करें ।

(ii) “Apply on line” लिंक पर जाएं और उसे खोलें।

(iii) आवेदन पत्र ऑनलाइन प्रस्तुत करने के लिए अनुदेश एवं प्रक्रिया ध्यानपूर्वक पढें। इस पृष्ठ के अंत में ऑनलाइन आवेदन के लिए निम्नलिखित तीन लिंक दिए गए हैंः

(क) ऑनलाइन आवेदन पत्र भरें और पंजीकरण संख्या लिखें।
(ख) शुल्क का भुगतान डेबिट/क्रेडिट कार्ड अथवा मांग ड्राफ्ट द्वारा करें।
(ग) पुष्टिकरण पृष्ठ का प्रिंटआउट लें और सीबीएसई को भेजें।

(iv) प्रथम लिंक को खोलें, सूचनाओं का सावधानीपूर्वक अनुसरण करें और सूचना प्रस्तुत करें। इस पृष्ठ के अंत में दो लिंक “Next” और “Reset” दिए गए हैं। यदि आप संतुष्ट है कि भरी गई सूचना सही है तब “Next” क्लिक करें अन्यथा “Reset” पर क्लिक करें। “Next” खोलने बाद प्रस्तुत सूचना की जांच की जा सकती है और यदि सूचना सही है तो “Finalsubmit” के लिए जाएं अन्यथा “Back” के लिए जाएं।

(v) डेटा की अंतिम प्रस्तुति के बाद, प्रोग्राम आपको स्वतः शुल्क भुगतान के लिए दूसरे लिंक के लिए ले जाएगा।

(vi) अनुदेश का पालन करें और शुल्क प्रस्तुत करें। शुल्क की सफलतापूर्वक प्रस्तुति के बाद, पुष्टिकरण पृष्ठ का प्रिंटआउट लेने के लिए प्रोग्राम आपको तीसरे लिंक पर ले जाएगा।

(vii) पुष्ठिकरण पृष्ठ और बोर्ड के पते की पता पर्ची का प्रिंट लेने के लिए अनुदेशों का पालन करें। सीबीएसई को पूर्ण आवेदन पत्र भेजने के लिए ए5 लिफाफे पर पता पर्ची चिपकानी है।कृपया सुनिश्चित करें कि पुष्टिकरण पृष्ठ की कम से कम चार प्रतियां और पता पर्ची की एक प्रति प्रिंट की जाए। पुष्टिकरण पृष्ठ की तीन प्रतियां उम्मीदवार द्वारा भविष्य की आवश्यकता के लिए सुरक्षित रखी जाएंगी। पुष्टिकरण पृष्ठ की एक प्रति बोर्ड को भेजने के लिए अनुदेशों के अनुसार पूरी की जाएगी। उम्मीदवार द्वारा इस पुष्टिकरण पृष्ठ की फोटोकापी भुगतान किए गए शुल्क के प्रमाण और डाक घर द्वारा जारी मूल रसीद के साथ सुरक्षित रखी जाए।

(viii) आवेदन पत्र की ऑनलाइन प्रस्तुति, शुल्क के भुगतान और पुष्टिकरण पृष्ठ का प्रिंट लेने के लिए सभी तीन लिंकों का अलग से भी प्रयोग किया जा सकता है।

(ix) बोर्ड ने आवेदन पत्र विलम्ब शुल्क के साथ प्रस्तुत करने की सुविधा भी प्रदान की है। इस उद्देश्य के लिए दो स्लॉट बनाए गए हैं। पहले स्लॉट में, उम्मीदवार को वास्तविक/परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विलम्ब शुल्क के रूप में रु0 500/– का भुगतान करना आवश्यक है। दूसरे स्लॉट में, उम्मीदवार को वास्तविक/परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विलम्ब शुल्क के रूप में रु0 1000/– का

भुगतान करना आवश्यक है। **विलम्ब शुल्क के साथ आवेदन पत्र की प्रस्तुति भी ऑनलाइन ही करनी है।** आवेदन भेजने की प्रक्रिया उसी तरह होगी जैसा कि बिना विलम्ब शुल्क के आवेदन पत्र भेजने के मामले है। विलम्ब शुल्क सहित आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के लिए भी, कम्प्यूटर सर्जित पुष्टिकरण पृष्ठ का प्रिंटआउट भेजने के लिए अंतिम तिथि निश्चित की गई है। उम्मीदवारों को सुनिश्चित करना अपेक्षित है कि शुल्क सहित आवेदन पत्र सीबीएसई में आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि को अथवा उससे पहले बोर्ड में पहुंच जाना चाहिए।

(x) **आवेदन पत्र प्रस्तुत करने, शुल्क का भुगतान करने और कम्प्यूटर सर्जित पुष्टिकरण पृष्ठ के प्रिंटिंग की सुविधा प्रत्येक स्लॉट के अंतिम दिवस को 05.00 अप. बजे बंद कर दी जाएगी। अतः उम्मीदवारों को एक बार में अथवा निर्धारित अवधि के अन्दर प्रक्रिया पूरी करना आवश्यक है।**

(xi) नियत तिथि के अंदर ऑनलाइन आवेदन पत्र की सफलतापूर्वक प्रस्तुति के बाद भी, यदि कम्प्यूटर सर्जित पुष्टिकरण पृष्ठ अंतिम तिथि को अथवा उससे पहले बोर्ड को प्राप्त नहीं होता अथवा बिना अपेक्षित शुल्क के प्राप्त होता है, उम्मीदवार का आवेदन पत्र रद्द समझा जाएगा।

(xii) उम्मीदवार आवेदन पत्र की ऑनलाइन प्रस्तुति की प्रौद्योगिकी से भलीभांति परिचित हैं और बिना किसी सहायता के वे ऑनलाइन आवेदन पत्र भेजने में सक्षम है। यदि, किसी उम्मीदवार को कोई समस्या है, ऐसे उम्मीदवार बोर्ड द्वारा कुछ विद्यालयों/संस्थाओं में निर्धारित **सुविधा केन्द्रों** में जा सकते हैं। सुविधा केन्द्रों की सेवाएं निशुल्क हैं और केवल कार्यदिवस में उपलब्ध है। सुविधा केन्द्रों की सूची **परिशिष्ट –XII** में उपलब्ध है।

10. **शुल्क का ब्योरा**

	बिना विलम्ब शुल्क के शुल्क	**प्रथम विलम्ब शुल्क के साथ शुल्क**	**दूसरे विलम्ब शुल्क के साथ शुल्क**
अवधि	**26.12.2011 से 25.01.2012**	**26.01.2012 से 08.02.2012**	**09.02.2012 से 24.02.2012**
सामान्य/अ.पि.व के लिए	रू. 1000/–	रु. 1500/– (रू. 1000+500)	रु. 2000/– (रू. 1000+1000)
अ.जा./अ.ज.जा. /विक.	रु. 550/–	रु. 1050/– (रू. 550+500)	रु. 1550/– (रू. 550+1000)
केमाशिबो में पुष्टिकरण पृष्ठ / आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि	**02.02.2012**	**15.02.2012**	**02.03.2012**

टिप्पणी : उम्मदीवारों को ध्यान देना चाहिए कि आवेदन पत्र प्रस्तुत किए जाने के बाद इसे वापिस नहीं लिया जाएगा। आवेदन शुल्क वापिस करने के दावे को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

11. पुष्टिकरण पृष्ठ/आवेदन पत्र पूरा करने और भेजने के लिए अनुदेश

(i) उम्मीदवार को आवेदन पत्र ऑनलाइन प्रस्तुत करने से पहले परीक्षा में शामिल होने की अपनी पात्रता सुनिश्चित करनी होगी। उम्मीदवार को सूचना बुलेटिन सावधानी पूर्वक पढ़ना और आवेदन पत्र को प्रस्तुत करने के संबंध में सभी अपेक्षाओं से स्वयं को परिचित करना अपेक्षित है।

(ii) आवेदन पत्र **बड़े अक्षरों** में केवल अंग्रेजी में ही भरा जा सकता है।

(iii) उम्मीदवार को आगे पत्राचार के लिए अपना पूरा पता भरना चाहिए। पिन कोड भी अलग से उपलबध कराना चाहिए।

(iv) उम्मीदवार का उत्तरदायित्व होगा कि वह सुनिश्चित करें कि उसने आवेदन पत्र में अपना सही पता भरा है। उम्मीदवारों को सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके द्वारा दिया गया पता ऐसा हो जिस पर उम्मीदवार काउंसलिंग समाप्त होने तक पत्राचार प्राप्त कर सकें। **मार्ग में क्षति के लिए अथवा आवेदक द्वारा आवेदन पत्र मे दिए गए गलत पते के लिए बोर्ड को उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा।** उम्मीदवार को अपने आवेदन पत्र में कोचिंग सेन्टर का पता नहीं देना चाहिए।

(v) उम्मीदवारों को उत्तीर्ण अर्हक परीक्षा के लिए उपलब्ध कराए गए कॉलम में कोड संख्या भरनी चाहिए। यदि कोई उम्मीदवार कोड संख्या 01 से 06 के अनुसार निर्धारित अर्हताओं के तहत नहीं आता है, उसे पूरा ब्योरा प्रस्तुत करना चाहिए और अर्हक परीक्षा कोड 07 भरना चाहिए।

वर्ष 2012 में 12वीं कक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को अर्हक कोड 07 भरना चाहिए।

(vi) **बोर्ड का पता**

विधिवत रूप से भरे हुए आवेदन पत्र अन्य दस्तावेजों के साथ यदि कोई हो, केवल पंजीकृत डाक/स्पीड डाक द्वारा **उप–सचिव (एआईपीएमटी यूनिट), केमाशिबो, शिक्षा केन्द्र, 2, समुदाय केन्द्र, प्रीत विहार, दिल्ली–110301** को भेजा जाना चाहिए ताकि भुगतान किए गए शुल्क के अनुसार आवेदन–पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि तक निश्चित रूप से पहुंच जाएं। **किसी भी स्थिति में उम्मीदवारों से आवेदन पत्र व्यक्तिगत रूप से प्राप्त नहीं किए जाएंगे।**

परीक्षा के आयोजन के संबंध में सभी अन्य पत्राचार भी इस पते पर किए जाएंगे।

(vii) उम्मीदवार को आवेदन पत्र कोरियर सेवा के माध्यम से नहीं भेजना चाहिए। यदि, कोरियर द्वारा भेजा गया आवेदन मार्ग में गुम हो जाता है तो उम्मीदवारी पर विचार करने के निवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(viii) **महत्वपूर्ण वेबसाइट**

(क) अखिल भारतीय प्री–मेडिकल/प्री–डेन्टल प्रवेश परीक्षा के लिए बोर्ड की सरकारी वेबसाइट www.aipmt.nic.in है। परीक्षा संबंधी सभी सूचना इस वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।

(ख) महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं की सरकारी वेबसाइट www.mohfw,.nic.in है। काउंसलिंग संबंधी सभी सूचना इस वेबसाइट पर उपलबध होगी।

(ix) **आवेदन पत्र/पुष्टिकरण पृष्ठ भेजने की विधि**

पुष्ठिकरण पृष्ठ और बोर्ड के पते की पता पर्ची का प्रिंट लेने के लिए अनुदेशों का पालन करें। सीबीएसई को पूर्ण आवेदन पत्र भेजने के लिए ए5 लिफाफे पर पता पर्ची चिपकानी है। सुनिश्चित करें कि पुष्ठिकरण पृष्ठ कम से कम चार प्रतियां और पता पर्ची की एक प्रति प्रिंट की जाए। पुष्ठिकरण पृष्ठ की तीन प्रतियां उम्मीदवार द्वारा भविष्य की आवश्यकता के लिए सुरक्षित रखी जाएंगी। पुष्टिकरण पृष्ठ की एक प्रति बोर्ड को भेजने के लिए अनुदेशों के अनुसार पूरी की जाएगी। **उम्मीदवार द्वारा इस पुष्टिकरण पृष्ठ की फोटोकापी भुगतान, किए गए शुल्क के प्रमाण और डाक घर द्वारा जारी मूल रसीद के साथ सुरक्षित रखी जाए।** उम्मीदवार सुनिश्चित करें कि आवेदन पर तथा पता पर्ची पर छपी आवेदन संख्या एक जैसी है।

(x) **आवेदन पत्र के प्राप्ति की अंतिम तिथि**

आवेदन पत्र के प्राप्ति की अंतिम तिथि इस प्रकार है :

	बिना विलम्ब शुल्क के शुल्क	**प्रथम विलम्ब शुल्क के साथ शुल्क**	**दूसरे विलम्ब शुल्क के साथ शुल्क**
अवधि	26.12.2011 से 25.01.2012	26.01.2012 से 08.02.2012	09.02.2012 से 24.02.2012
केमाशिबो में आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि	02.02.2012	15.02.2012	02.03.2012
*सुदूर क्षेत्रों से सीबीएसई में आवेदन पत्र प्राप्ति करने की अंतिम तिथि	17.02.2012	29.02.2012	कोई रियायत अवधि नहीं, अतः अंतिम तिथि 02.03.2012 रहेगी।

*सुदूर क्षेत्र है : **मिजोरम, असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के चम्बा जिले का पांगी सब डिविजन तथा लाहौल और स्पीती जिले, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह और लक्षद्वीप।**

(xi) उम्मीदवार को अपना नाम, माता का नाम तथा पिता का नाम बड़े अक्षरों में बोर्ड/विश्वविद्यालय की उच्च विद्यालय प्रमाण पत्र में दिए अनुसार भरना चाहिए। प्रत्येक अक्षर एक बॉक्स में नीचे दिए अनुसार भरना चाहिए :

नाम : KAMAL KUMAR

K	A	M	A	L		K	U	M	A	R

माता का नाम : VIMLA DEVI

V	I	M	L	A		D	E	V	I

पिता का नाम : RAMESH CHAND

R	A	M	E	S	H		C	H	A	N	D

नाम के प्रत्येक भाग के बीच में एक बॉक्स खाली रहना चाहिए। आवेदन पत्र भरने से पूर्व वर्तनी की शुद्धता की जांच कर लें।

(xii) आवेदन पत्र में उपलब्ध कराए गए स्थान पर निम्नलिखित के लिए उपयुक्त कोड भरें :

- राष्ट्रीयता
- शपथ पत्र
- लिंग
- श्रेणी
- काउंसलिंग के लिए विकल्प
- पिता/माता/अभिभावक का पेशा **परिशिष्ट** – IX
- पिता/माता/अभिभावक की शैक्षिक योग्यताएं **परिशिष्ट** – X
- पिता/माता/अभिभावक की कुल वार्षिक आय **परिशिष्ट** – XI
- प्रश्न पत्र की भाषा
- क्या आप अपने माता–पिता की एकमात्र संतान हैं

(यदि आप अपने माता–पिता की एक मात्र संतान हैं तो इस कालम में 1 लिखें अन्यथा कालम में 2 लिखें)

- क्या आप शारीरिक रूप से विकलांग (पीएच) है

  (यदि हां, 1 लिखें और यदि नहीं, 2 लिखें)

- कक्षा XII उत्तीर्ण/शामिल होने का वर्ष
- कक्षा X और XII में ग्रेड/अंक प्रतिशतता
- कक्षा XII के संस्थान का प्रकार
- आवेदक जिस राज्य का है **परिशिष्ट – V** देखें
- अर्हक परीक्षा कोड (8 (iv) देखें)
- स्कूल शिक्षा बोर्ड **परिशिष्ट – VI** देखें
- परीक्षा केन्द्र की पंसद/विकल्प **परिशिष्ट – II और परिशिष्ट – III** देखें

(xiii) **जन्म तिथि :**

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड प्रमाण पत्र में दर्ज अनुसार तथा अंग्रेजी कलेण्डर के अनुसार जन्म की तिथि, माह तथा वर्ष लिखें। तिथियों के लिए 01 से 09 और 10 से 31 तक, महीनों के लिए 01,02–12 तक संख्याओं का प्रयोग करें और वर्ष के लिए अंतिम दो डिजिट का प्रयोग करें जैसा कि नीचे दर्शाया गया है :

उदाहरणार्थ : 3 सितम्बर 1987, 19 नवम्बर, 1988

0	3	0	9	8	7	1	9	1	1	8	8

(xiv) **केवल भारतीय नागरिक** ही अखिल भारतीय प्री–मेडिकल/प्री–डेंटल प्रवेश परीक्षा में भाग लेने के पात्र हैं।

(xv) **जम्मू–कश्मीर और आंध्र प्रदेश के उम्मीदवारों के लिए एक शपथ–पत्र देना अपेक्षित है, जैसा 8(iii) में दर्शाया गया है।**

(xvi) **फोटोग्राफः**

उम्मीदवारों को परामर्श दिया जाता है कि वे सफेद बैकग्राउंड वाले पासपोर्ट आकार के 8–10 फोटोग्राफ तथा पोस्टकार्ड आकार (3 1/2'' x 5'') का एक फोटो तैयार करवा लें। पासपोर्ट आकार के फोटो का प्रयोग कम्प्यूटर द्वारा तैयार किए गए आवेदन–पत्र (पुष्टिकरण पृष्ठ) पर चिपकाने और काउंसलिंग/प्रवेश के लिए किया जाएगा। पोस्टकार्ड आकार का फोटो एआईपीएमटी–अंतिम परीक्षा के दौरान केन्द्र अधीक्षक द्वारा केन्द्र पर उम्मीदवारों से ले लिया जाएगा। पुष्टिकरण पृष्ठ पर फोटो चिपकाने से पूर्व उम्मीदवार दोनों फोटोग्राफों की पिछली ओर केवल बॉल पॉइंट पेन से अपना नाम, आवेदन पत्र संख्या और संपर्क नम्बर अवश्य लिखेंगे। पुष्टिकरण पृष्ठ पर फोटोग्राफ के लिए

निर्दिष्ट स्थान पर सफेद बैकग्राउंड वाले स्टूडियो में लिए गए अच्छी क्वालिटी के दो नवीनतम रंगीन फोटोग्राफ चिपकाए जाएं, जिनमें से एक फोटोग्राफ सत्यापित किया गया हो तथा दूसरा सत्यापित रहित होगा। फोटोग्राफ 01.12.2011 को अथवा उसके बाद लिया गया होना चाहिए जिसमें उम्मीदवार के नाम के साथ फोटोग्राफ लिए जाने की तारीख स्पष्ट रूप से दर्शाई गई होगी। फोटोग्राफ में टोपी अथवा धूप का चश्मा नहीं पहना हुआ होना चाहिए।

KAMAL KUMAR

नज़र के चश्मे की अनुमति है, यदि उसे नियमित रूप से पहना जाता है। **पोलारॉइड और कम्प्यूटर से बनाए गए फोटोग्राफ स्वीकार्य नहीं हैं।** फोटो को संस्था के प्रधानाचार्य/प्रमुख द्वारा अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा इस प्रकार सत्यापित कराया जाना चाहिए कि सत्यापन करने वाले अधिकारी के आधे हस्ताक्षर फोटो पर और शेष आवेदन–पत्र पर हों। सत्यापन फोटो के निचले भाग पर किया जाना चाहिए ताकि फोटो विकृत न हो। फोटोग्राफों को आवेदन–पत्र पर गोंद/फेवीकोल से भली–भांति चिपकाया जाना चाहिए और उन्हें पिन से नहीं लगाया जाना चाहिए/स्टेपल नहीं किया जाना चाहिए। **इन अनुदेशों को पालन न करने वाले अथवा अस्पष्ट फोटो वाले आवेदनों को अस्वीकृत किया जा सकता है। उम्मीदवार कृपया ध्यान दें कि यदि यह पाया गया कि चिपकाया गया फोटोग्राफ बनाया गया है अर्थात वह सही आकार का नहीं है अथवा हाथ से तैयार किया गया या कम्प्यूटर द्वारा निर्मित प्रतीत होता है, तो उम्मीदवार का आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाएगा और इसे अनुचित साधनों का प्रयोग किया जाना माना जाएगा तथा इस पर तदनुसार अनुचित साधनों के नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।**

(xvii) उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे पुष्टिकरण पृष्ठ में उपयुक्त बॉक्स में अपने हस्ताक्षर निरंतर लिखाई में करें। बॉक्स में स्पष्ट अक्षरों में अपना पूरा नाम लिखने को हस्ताक्षर नहीं माना जाएगा तथा आवेदन–पत्र अस्वीकृत किए जाने

का दायी होगा। इसके अलावा, हस्ताक्षररहित आवेदन भी अस्वीकृत कर दिए जाएंगे।

(xviii) उम्मीदवार को अपने आवेदन–पत्र तथा उसके अनुलग्नकों, यदि कोई हैं, को मज़बूती के साथ बांधना/स्टेपल करना चाहिए। कृपया ए5 आकार के अच्छी क्वालिटी के लिफाफों को प्रयोग करें तथा कम्प्यूटर द्वारा तैयार की गई पते की पर्ची को चिपकाएं।

(xix) आवेदन–पत्र में भरे गए किसी विवरण में परिवर्तन करने के अनुरोध पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा।

(xx) **अधूरे आवेदन–पत्रों को अस्वीकृत कर दिया जाएगा।**

(xxi) **एक से अधिक आवेदन–पत्रों का प्रस्तुत किया जाना**

उम्मीदवारों को परामर्श दिया जाता है कि वे केवल एक ही आवेदन–पत्र भरें। तथापि, यदि सीबीएसई द्वारा दिए गए दिशा–निर्देशों की पूर्ति के लिए दूसरा आवेदन–पत्र भरना आवश्यक हो जाता है, तो बोर्ड द्वारा आसानी से पहचान किए जाने के लिए दूसरे आवेदन–पत्र के शीर्ष पर पहले वाले आवेदन की आवेदन–पत्र संख्या तथा दूसरा आवेदन–पत्र प्रस्तुत करने के कारण को लाल स्याही से लिखा जाना चाहिए। यदि कोई उम्मीदवार ऊपर निर्दिष्ट किए गए के अलावा, एक से अधिक आवेदन–पत्र भेजता है, तो उसकी उम्मीदवारी अस्वीकृत किए जाने के लिए दायी होगी।

(xxii) **आवेदन–पत्रों/पुष्टिकरण पृष्ठों की प्राप्ति की पुष्टि**

बोर्ड द्वारा प्राप्त आवेदन–पत्रों/पुष्टिकरण पृष्ठों की पुष्टि बोर्ड की वेबसाइट पर दर्शाई जाएगी। आवेदन–पत्रों के प्राप्त होने की अंतिम तारीख से 15 दिन के भीतर बोर्ड को प्राप्त हुए सभी आवेदन–पत्रों/पुष्टिकरण पृष्ठों की पुष्टि को वेबसाइट पर दर्शाने के प्रयास किए जाएंगे। बोर्ड द्वारा सभी आवेदन–पत्रों के विवरणों को वेबसाइट पर दर्शाए जाने के पश्चात, उम्मीदवार उनके आवेदन–पत्रों की स्थिति की जांच करेंगे। यदि किसी उम्मीदवार ने स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक के माध्यम से आवेदन–पत्र भेजा है तथा बोर्ड की वेबसाइट पर उसके आवेदन–पत्र की संख्या के सामने 'आवेदन–पत्र प्राप्त नहीं हुआ है' सूचना दर्शाई जा रही है, तो ऐसी स्थिति में उम्मीदवारों को परामर्श दिया जाता है कि वे वेबसाइट पर जानकारी को डाले जाने की तारीख से 07 दिन के भीतर बोर्ड को निम्नलिखित दस्तावेज इस प्रकार भेजें ताकि बोर्ड को उसके सुपुर्दगी के विषय में सुनिश्चित किया जा सके :

क) कम्प्यूटर–सृजित भरे गए आवेदन–पत्र की एक प्रति (उम्मीदवार द्वारा रखी गई चार प्रतियों में से), उस पर उसी प्रकार फोटोग्राफ लगाने तथा फोटो और आवेदन–पत्र को उसी प्रकार सत्यापित करने के पश्चात, जैसा पूर्व आवेदन–पत्र के मामले में किया गया था।

ख) आवेदन–पत्र को प्रेषित करने के लिए डाकघर द्वारा जारी की गई मूल रसीद।

ग) भुगतान किए गए शुल्क का प्रमाण (डिमांड–ड्राफ्ट की फोटोप्रति यदि शुल्क डिमांड–ड्राफ्ट के माध्यम से प्रेषित किया गया है/कार्ड के विवरण की प्रति यदि शुल्क का भुगतान डेबिट/क्रेडिट कार्ड से किया गया है)। **यदि शुल्क का डिमांड–ड्राफ्ट बोर्ड को प्राप्त नहीं हुआ है, तो उम्मीदवार को शुल्क का भुगतान दोबारा करने के लिए कहा जाएगा।**

07 दिन की अवधि के समाप्त होने के पश्चात सीबीएसई द्वारा आवेदन–पत्र की प्राप्ति न होने के संबंध में किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

उम्मीदवारों को परामर्श दिया जाता है कि वे भरे गए आवेदन–पत्र/कम्प्यूटर–सृजित आवेदन–पत्र, शुल्क प्रेषण करने के प्रमाण की फोटोप्रति तथा बोर्ड को आवेदन–पत्र प्रेषित करने के संबंध में डाकघर द्वारा जारी की गई मूल रसीद को अपने पास संभाल कर रखे।

(xxiii) **प्रवेश–पत्र**

बोर्ड प्रारंभिक चरण की परीक्षा के प्रवेश–पत्र डाउनलोड करने की सुविधा बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदान करेगा। उम्मीदवारों के लिए अपेक्षित है कि वे वेबसाइट से प्रवेश–पत्र डाउनलोड कर लें तथा उसमें दिए गए अनुदेशों का पालन करें। उम्मीदवार कृपया ध्यान दें कि प्रवेश–पत्र डाक द्वारा नहीं भेजे जाएंगे। प्रवेश–पत्र डाले जाने की समय–सारणी इस प्रकार हैः

– प्रारंभिक परीक्षा : 09.03.2012

– अंतिम परीक्षा : 27.04.2012

प्रवेश–पत्र में उम्मीदवार को रोल नम्बर, नाम, पिता का नाम, श्रेणी, उप–श्रेणी, फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, जन्म–तिथि, प्रश्न–पत्र की भाषा और आवंटित किए गए एआईपीएमटी केन्द्र का नाम और पते का उल्लेख होगा। उम्मीदवार को उसके द्वारा डाउनलोड किए गए प्रवेश–पत्र में की गई प्रविष्टियों की सावधानीपूर्वक जांच कर लेनी चाहिए। उनमें कोई विसंगति होने की स्थिति में उम्मीदवार को तत्काल

बोर्ड को सूचित करना चाहिए। **ऐसे मामले में, उम्मीदवार पहले ही डाउनलोड किए जा चुके प्रवेश–पत्र के साथ परीक्षा में बैठेंगे।** तथापि, बोर्ड बाद में अभिलेखों में शुद्धि करने करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेगा।

अंतिम परीक्षा के लिए अर्हक हुए उम्मीदवारों को बोर्ड की वेबसाइट से एक अलग प्रवेश–पत्र डाउनलोड करने की आवश्यकता होगी, जिसमें नया रोल नम्बर और अन्य विवरण दर्शाए गए होंगे।

किसी भी स्थिति में, प्रारंभिक और अंतिम, दोनों ही परीक्षाओं के लिए केन्द्रों पर डुप्लीकेट प्रवेश–पत्र परीक्षा जारी नहीं किए जाएंगे।

उम्मीदवारों को प्रवेश–पत्र को तोड़ना–मरोड़ना नहीं चाहिए अथवा उसमें की गई प्रविष्टियों में परिवर्तन नहीं करना चाहिए।

उम्मीदवारों को परामर्श दिया जाता है कि वे मेडिकल/डेंटल कॉलेजों में प्रवेश–प्रक्रिया के समाप्त होने तक अपने प्रवेश–पत्रों को उचित अवस्था में संभाल कर रखें।

11. परीक्षा हॉल में अनुपालन किए जाने वाले निदेश

11.1 सामान्य अनुदेशः

(i) परीक्षा हॉल परीक्षा आरंभ होने से 30 मिनट पूर्व खोला जाएगा। उम्मीदवारों के लिए अपेक्षित है कि वे परीक्षा हॉल के खुलने के पश्चात तत्काल अपनी सीटों पर बैठ जाएं। यदि उम्मीदवार समय पर नहीं पहुंचते हैं, तो वे परीक्षा हॉल में घोषित किए जाने वाले कुछ सामान्य अनुदेशों को सुनने से वंचित हो सकते हैं।

(ii) उम्मीदवार को परीक्षा हॉल में प्रवेश करने के लिए मांगे जाने पर प्रवेश–पत्र दिखाना आवश्यक है। जिस उम्मीदवार के पास वैध प्रवेश–पत्र नहीं होगा, उसे केन्द्र अधीक्षक द्वारा किसी भी परिस्थिति में परीक्षा हॉल में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(iii) परीक्षा के समय के दौरान, निरीक्षक प्रत्येक उम्मीदवार की पहचान के विषय में स्वयं को संतुष्ट करने के लिए उम्मीदवारों के प्रवेश–पत्रों की जांच करेंगे। निरीक्षक उत्तर–पुस्तिका की साइड–1 पर उपलब्ध कराए गए स्थान पर अपने हस्ताक्षर भी करेंगे।

(iv) प्रत्येक उम्मीदवार को उसका रोल नम्बर दर्शाने वाली सीट आवंटित की जाएगी। उम्मीदवारों को उनके लिए आवंटित की गई सीट को ढूंढ कर उस पर बैठ जाना चाहिए। यदि कोई उम्मीदवार उसके लिए आवंटित सीट अथवा कक्ष के अलावा

किसी अन्य सीट अथवा कक्ष से परीक्षा देता हुआ पाया जाता है, तो उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

(v) **परीक्षा के आरंभ होने के उपरांत आने वाले उम्मीदवारों को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।**

(vi) उम्मीदवारों को परीक्षा हॉल के भीतर प्रवेश–पत्र के अलावा कोई भी मुद्रित अथवा लिखित पाठ्य–सामग्री, कागज के टुकड़े, लिफाफे अथवा अन्य कोई भी सामग्री लाने की अनुमति नहीं है।

(vii) **परीक्षा हॉल के भीतर कैलकुलेटर, स्लाइड–रूल्स, लॉग टेबल, ज्योमेट्री बॉक्स, कैलकुलेटर की सुविधा वाली डिजिटल घडियां, सेल्युलर फोन, पृष्ठर तथा अन्य किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लाने की अनुमति नहीं है।**

उम्मीदवारों को परामर्श दिया जाता है कि वे अपने स्वयं के हित में परीक्षा स्थल पर मोबाइल सहित कोई अन्य निषिद्ध उपकरण लेकर न आएं क्योंकि इनकी सुरक्षित अभिरक्षा की व्यवस्था का आश्वासन नहीं दिया जा सकता है।

(viii) कोई भी उम्मीदवार, केन्द्र अधीक्षक अथवा संबंधित निरीक्षक की विशेष अनुमति के बिना, अपनी सीट अथवा परीक्षा कक्ष/हॉल तब तक नहीं छोड़ेगा, जब तक कि उसने अपना पेपर समाप्त न कर लिया हो। उम्मीदवार को ड्यूटी पर तैनात निरीक्षक को अपनी उत्तर–पुस्तिका सौंपे बिना कक्ष/हॉल नहीं छोड़ना चाहिए।

(ix) उम्मीदवारों को परामर्श दिया जाता है कि वे अपने साथ एक कार्ड–बोर्ड अथवा एक क्लिप–बोर्ड लेकर आएं ताकि यदि परीक्षा हॉल में उन्हें उपलब्ध कराई गई मेजों की सतह समतल न हो, तो भी उन्हें उत्तर–पुस्तिका में उत्तर लिखने में कोई कठिनाई न आए। उन्हें अपने साथ अच्छी क्वालिटी के बॉल पॉइंट पेन भी लेकर आने चाहिए। इन्हें बोर्ड द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जाएगा।

(x) परीक्षा के दौरान परीक्षा हॉल में धूम्रपान करना सख्त मना है।

(xi) परीक्षा की अवधि के दौरान उम्मीदवार द्वारा परीक्षा हॉल में चाय, कॉफी, शीतल पेय अथवा जलपान ले जाने की अनुमति नहीं है।

(xii) परीक्षा ठीक प्रवेश–पत्र में उल्लिखित समय पर आरंभ हो जाएगी तथा निरीक्षक द्वारा इस आशय की घोषणा की जाएगी।

(xiii) परीक्षा आरंभ होने पर तथा आधा समय समाप्त हो जाने पर एक संकेत दिया जाएगा। परीक्षा समाप्त होने से पूर्व भी एक संकेत दिया जाएगा, जब उम्मीदवार उत्तरों की मार्किंग करना बंद कर देंगे।

(xiv) उम्मीदवार को उपस्थिति–शीट में उपयुक्त स्थान पर दो बार हस्ताक्षर करेगा। पहली बार परीक्षा आरंभ होने के तत्काल बाद तथा दूसरी बार निरीक्षक को उत्तर–पुस्तिका सौंपने के समय। उम्मीदवार के लिए अपेक्षित है कि वह उपस्थिति–शीट में उपलब्ध कराए गए स्थान पर अपने बाएं हाथ के अंगूठे का निशान भी लगाए ।

(xv) **जो उम्मीदवार किसी कारण से परीक्षा की निर्धारित तारीख को परीक्षा में बैठने में असमर्थ रहे हैं, उनके लिए बोर्ड द्वारा किसी भी परिस्थिति में पुनःपरीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी।**

(xvi) **अनुचित साधनों का प्रयोग तथा परीक्षा के नियमों का उल्लंघन**

(क) **अनुचित साधनों का प्रयोग एक ऐसा क्रियाकलाप है जो किसी उम्मीदवार को अन्य उम्मीदवारों की तुलना में अनुचित लाभ हासिल करने में समर्थ बनाता है। इसमें निम्नलिखित शामिल हैं, परंतु सीमित नहीं हैं:**

- ❖ संबंधित पत्र में परीक्षा से संबंधित कागज़, पुस्तकें, नोट्स, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अथवा कोई अन्य सामग्री या सूचना रखना;
- ❖ परीक्षा देने (छद्म उम्मीदवार) या सामग्री तैयार करने के लिए किसी व्यक्ति को भुगतान करना;
- ❖ परीक्षा नियमों का उल्लंघन करना;
- ❖ कदाचार में शामिल होने के लिए किसी अन्य उम्मीदवार की सहायता करना; प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी प्रकार की सहायता देना या प्राप्त करना या ऐसा करने का प्रयास करना;
- ❖ केन्द्र अधीक्षक द्वारा उत्तर लिखने के लिए दी गई उत्तर पुस्तिकाओं के अलावा किसी अन्य सामग्री पर प्रश्न या उत्तर लिखना;
- ❖ उत्तर–पुस्तिका को फाड़ना, प्रश्न–पुस्तिका से किसी पृष्ठ को फाड़ना;
- ❖ परीक्षा केन्द्र में परीक्षा समय के दौरान परीक्षा से संबंधित कर्मियों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से संपर्क करना या बातचीत करना या ऐसा करने का प्रयास करना;
- ❖ परीक्षा हॉल/कक्ष से उत्तर–पुस्तिका बाहर ले जाना।
- ❖ प्रश्न–पत्र या उसके किसी भाग को बाहर भिजवाना अथवा उत्तर–पुस्तिका या उसके किसी भाग को बाहर भिजवाना।
- ❖ परीक्षा के संचालन से संबंधित किसी कर्मी को धमकी देना अथवा किसी उम्मीदवार को धमकी देना;

- ❖ परीक्षा से संबंधित किसी अन्य अवांछनीय पद्धति अथवा साधन का प्रयोग करना अथवा प्रयोग करने का प्रयास करना;
- ❖ ऑनलाइन दस्तावेजों अर्थात प्रवेश–पत्र, रैंक पत्र आदि में छेड़छाड़ करना अथवा उन्हें तैयार करना;
- ❖ गलत आशय के साथ परीक्षा हॉल में बलपूर्वक प्रवेश करना; और
- ❖ आवेदन–पत्र पर बनाए गए फोटोग्राफ लगाना।

(ख) **अनुचित साधनों का प्रयोग करने के लिए दण्ड**

परीक्षा की अवधि के दौरान, इससे पूर्व या बाद में, यदि कोई उम्मीदवार उपर्युक्त में से किसी भी अथवा इसी प्रकार के अन्य व्यवहारों में संलिप्त पाया जाता है, तो यह माना जाएगा कि उसने परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग किया है, तथा उसे अनफेयर मीन्स (यू.एफ.एम.) के रूप में निर्दिष्ट कर दिया जाएगा। ऐसे उम्मीदवार को भविष्य में यह परीक्षा देने से स्थायी रूप से विवर्जित कर दिया जाएगा तथा वह आपराधिक कार्रवाई और/अथवा ऐसी अन्य कार्रवाई किए जाने के लिए भी दायी होगा, जो बोर्ड उपयुक्त समझे।

(ग) उम्मीदवारों को परीक्षा हॉल छोड़ने से पहले यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उन्होंने ड्यूटी पर तैनात निरीक्षकों को उत्तर–पुस्तिकाएं सौंप दी हैं तथा उपस्थिति–शीट में दूसरी बार हस्ताक्षर कर दिए हैं। यदि कोई उम्मीदवार उत्तर–पुस्तिका को नहीं सौंपता है और उसे अपने साथ ले जाता है, तो इसे अनुचित साधनों के प्रयोग का मामला माना जाएगा और उसके मामले पर तदनुसार कार्रवाई जाएगी।

(घ) उम्मीदवार यह जांच करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्न–पुस्तिकाओं में पृष्ठों की संख्या उतनी ही है, जितनी कि आवरण पृष्ठ के शीर्ष पर लिखी गई है।

(xvii) **अभिभावकों/संरक्षकों के लिए जानकारी**

अभिभावकों/संरक्षकों को यह परामर्श दिया जाता है कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनके बालक अनुचित साधनों के किसी भी ऐसे प्रयोग/कदाचार में संलिप्त न रहें जिसके परिणामस्वरूप परीक्षा के नियमों का उल्लंघन होता है। यदि कोई उम्मीदवार ऐसे किसी कार्यकलाप में शामिल पाया जाता है, तो उसे भविष्य में परीक्षा देने से स्थायी रूप से विवर्जित कर दिया जाएगा तथा वह ऐसी आपराधिक कार्रवाई किए जाने का भी दायी होगा, जो बोर्ड उपयुक्त समझे।

(xviii) **एआईपीएमटी अंतिम परीक्षा के आयोजन की वीडियोग्राफी की जाएगी। उम्मीदवारों के लिए अपेक्षित है कि वे अपने सिर को सीधी अवस्था में रखें और वीडियोग्राफी के दौरान कैमरे की ओर देखें ताकि उनकी पहचान स्पष्टतः स्थापित की जा सके।**

(xix) **उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य है कि वे एआईपीएमटी अंतिम परीक्षा के दौरान अपने साथ अपना पोस्टकार्ड आकार (3 1/2'' x 5'') का फोटोग्राफ लेकर आएं। फोटोग्राफ केवल सफेद बैकग्राउंड में लिया गया होना चाहिए। फोटोग्राफ की पिछली तरफ, उम्मीदवार को अपने नाम, आवेदन–पत्र संख्या, प्रारंभिक परीक्षा के रोल नम्बर और अंतिम परीक्षा के रोल नम्बर का उल्लेख अवश्य करना चाहिए। यह फोटोग्राफ अंतिम परीक्षा में बैठ रहे उम्मीदवार के फोटोग्राफ से मिलान करने के उपरांत संबंधित निरीक्षक द्वारा ले लिया जाएगा।**

11.2 प्रारंभिक और अंतिम, दोनों परीक्षाओं के लिए अनुदेशः

(i) प्रत्येक उम्मीदवार को परीक्षा आरंभ होने के पन्द्रह मिनट पूर्व शीलबंद प्रश्न–पुस्तिका दी जाएगी।

(ii) प्रश्न–पुस्तिका प्राप्त होने के तत्काल पश्चात उम्मीदवार प्रश्न–पुस्तिका के आवरण पृष्ठ पर अपेक्षित विवरणों को केवल बॉल पॉइंट पेन से भरेंगे। वे प्रश्न–पुस्तिका को तब तक नहीं खोलेंगे, जब तक निरीक्षक द्वारा उन्हें ऐसा करने के लिए न कहा गया हो।

(iii) परीक्षा आरंभ होने के पांच मिनट पूर्व, उम्मीदवारों से प्रश्न–पुस्तिका की सील को तोड़ने/खोलने के लिए कहा जाएगा। वे उसमें से उत्तर–पुस्तिका को सावधानीपूर्वक निकालेंगे। उम्मीदवार को सावधानीपूर्वक यह जांच कर लेनी चाहिए कि उत्तर–पुस्तिका की साइड–2 पर मुद्रित प्रश्न–पुस्तिका कोड वही है, जो प्रश्न–पुस्तिका में अंकित है। इसमें विसंगति होने के मामले में, प्रश्न–पुस्तिका और उत्तर–पुस्तिका, दोनों ही को बदलने के लिए उम्मीदवार द्वारा इस मामले की सूचना तत्काल निरीक्षक को दी जानी चाहिए।

(iv) इसके उपरांत उम्मीदवार दोनों साइडों में बॉल पॉइंट पेन से विवरणों को लिखेंगे। इस चरण को पूरा करने के पश्चात उम्मीदवार निरीक्षक के संकेत की प्रतीक्षा करेंगे।

(v) परीक्षा समाप्त होने के बाद तथा उत्तर–पुस्तिका को सौंपने से पूर्व, उम्मीदवारों को पुनः जांच करनी चाहिए कि उत्तर–पुस्तिका में अपेक्षित सभी विवरणों को सही–सही लिख दिया गया है और मार्क कर दिया गया है।

11.2.1 उत्तर पुस्तिका

(i) उत्तर–पुस्तिका सीलबंद प्रश्न–पुस्तिका के भीतर रखी हुई मिलेगी। निरीक्षक द्वारा घोषणा किए जाने पर ही उम्मीदवार सील को तोड़ेंगे/खोलेंगे और केवल तभी उत्तर–पुस्तिका को बाहर निकाला जाएगा। **घोषणा से पूर्व सील को न तोड़ें/खोलें।**

(ii) प्रत्येक उत्तर–पुस्तिका की साइड–2 पर पूर्व–मुद्रित प्रश्न–पुस्तिका कोड क,ख,ग और घ होंगे। **उम्मीदवारों द्वारा यह जांच की जानी अपेक्षित है कि उत्तर–पुस्तिका की साइड–2 पर पूर्व–मुद्रित कोड वही है, जैसाकि प्रश्न–पुस्तिका पर मुद्रित है।**

(iii) उत्तर–पुस्तिका का प्रपत्र, जो प्रश्न–पुस्तिका के भीतर रखा हुआ मिलेगा और जिसका प्रयोग प्रश्नों का उत्तर देने के लिए किया जाएगा, **परिशिष्ट–VIII** में दिया गया है। उम्मीदवारों को परामर्श दिया जाता है कि वे इसे भली–भांति देख लें तथा विवरण लिखने और उत्तरों की मार्किंग करने के लिए अपेक्षाओं के विषय में जान लें।

(iv) प्रयोग की जाने वाली उत्तर–पुस्तिका विशेष प्रकार की होगी, जिसे ऑप्टिकल स्कैनर पर स्कैन किया जाएगा। उत्तर–पुस्तिका की दो साइडें होंगी।

(क) साइड 1 उत्तर–पुस्तिका की इस साइड में निम्नलिखित कॉलम होंगे जिन्हें उम्मीदवार द्वारा केवल नीले/काले बॉल पॉइंट पेन से साफ–साफ और सही–सही भरा जाना है। **ओएमआर शीट पर पेंसिल के प्रयोग की अनुमति नहीं है। पेंसिल से भरी गई ओएमआर शीट को मूल्यांकन के लिए सरसरी तौर पर अस्वीकृत कर दिया जाएगा।**

(i) रोल नम्बर
(ii) उम्मीदवार का नाम
(iii) पिता का नाम
(iv) केन्द्र संख्या
(v) परीक्षा केन्द्र का नाम
(vi) उम्मीदवार के हस्ताक्षर

(ख) साइड 2 उत्तर–पुस्तिका की इस साइड में निम्नलिखित कॉलम होंगे जिन्हें उम्मीदवार द्वारा **केवल नीले/काले बॉल पॉइंट पेन** से ही भरा जाना है:

(i) रोल नम्बर

(ii) केन्द्र संख्या

(iii) प्रश्न–पुस्तिका संख्या

(iv) प्रश्न 001 से 200/प्रश्न 001 से 120
प्रत्येक कॉलम प्रश्न–पुस्तिका में दिए गए प्रश्न की क्रम संख्या के अनुरूप है। प्रत्येक कॉलम के साथ चार वृत्त दिए गए हैं जो चार वैकल्पिक उत्तरों के अनुरूप हैं, जिनमें से एक सही अथवा सर्वाधिक उपयुक्त है।

(v) **साइड–2 पर विवरणों और उत्तरों को केवल नीले/काले बॉल पॉइंट पेन से लिखना**

रोल नम्बर – अपना रोल नम्बर उत्तर–पुस्तिका के नमूने के अनुसार लिखें। उदाहरण के लिए रोल नं0 0214057.

केन्द्र संख्या – अपनी केन्द्र संख्या उत्तर–पुस्तिका के नमूने के अनुसार लिखें और मार्क करें। उदाहरण के लिए केन्द्र संख्या 0239.

प्रश्न–पुस्तिका संख्या – अपनी प्रश्न–पुस्तिका संख्या प्रश्न–पुस्तिका में दर्शाई गई संख्या के अनुसार लिखें और मार्क करें। उदाहरण के लिए प्रश्न–पुस्तिका संख्या 020456.

11.2.2 उत्तर मार्क करने के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश

(i) उपयुक्त वृत्त को पूरी तरह से गहरा करने के लिए केवल नीले/काले बॉल पॉइंट पेन का ही प्रयोग करें। **पेंसिल से मार्क किए गए उत्तरों का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।**

(ii) मार्किंग गहरी होनी चाहिए इससे वृत्त को पूरी तरह से भरा जाना चाहिए।

(iii) प्रत्येक प्रविष्टि के लिए केवल एक ही वृत्त को गहरा करें क्योंकि एक बार मार्क किया गया उत्तर बदला नहीं जा सकेगा।

(iv) हलकी और धुंधली तरह से गहरे किए गए वृत्त को मार्किंग की गलत पद्धति माना जाएगा तथा ऑप्टिकल स्कैनर द्वारा इसे अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

(v) मार्किंग केवल उपलब्ध कराए गए स्थान पर ही की जाए।

(vi) प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न सं0 001–200 तथा अंतिम परीक्षा में प्रश्न सं0 001 से 120 में से प्रत्येक प्रश्न के लिए चार विकल्प दिए जाएंगे। उम्मीदवार उपयुक्त वृत्त को बॉल पॉइंट पेन से पूरी तरह से गहरा करके अपना उत्तर दर्शाएगा। उदाहरण के लिए प्रश्न–पुस्तिका में प्रश्न संख्या 008 इस प्रकार हैः

कुतुब मीनार निम्न स्थान पर स्थित है–

(1) दिल्ली
(2) मुंबई
(3) आगरा
(4) बेंगलुरू

इस प्रश्न का सही उत्तर (1) दिल्ली है। अभ्यर्थी को उत्तर–पुस्तिका में प्रश्न सं0 008 ढूंढना होगा तथा वृत्त को गहरा करना होगाः

008

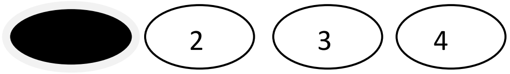

यदि उम्मीदवार किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता है, तो उसे उस प्रश्न के सामने दिए गए किसी वृत्त को गहरा नहीं करना चाहिए। कृपया उत्तर–पुस्तिका को मोड़े नहीं और उस पर कोई अवांछनीय निशान न लगाएं।

11.2.3 उत्तर में परिवर्तन की अनुमति नहीं है

उम्मीदवार को उपयुक्त वृत्त को गहरा करने से पहले उस उत्तर की सटीकता के विषय में स्वयं को पूरी तरह से संतुष्ट कर लेना चाहिए क्योंकि एक बार मार्क कर दिए गए उत्तर में किसी परिवर्तन की अनुमति नहीं है। उत्तर–पुस्तिका में इरेजर अथवा व्हाइट फ्लूइड के प्रयोग की अनुमति नहीं है क्योंकि उत्तर–पुस्तिकाओं का मूल्यांकन मशीन द्वारा किया जाएगा और इसके परिणामस्वरूप गलत मूल्यांकन किया जा सकता है।

मार्किंग के कुछ गलत/सही तरीकों के उदाहरण नीचे दिए गए हैंः

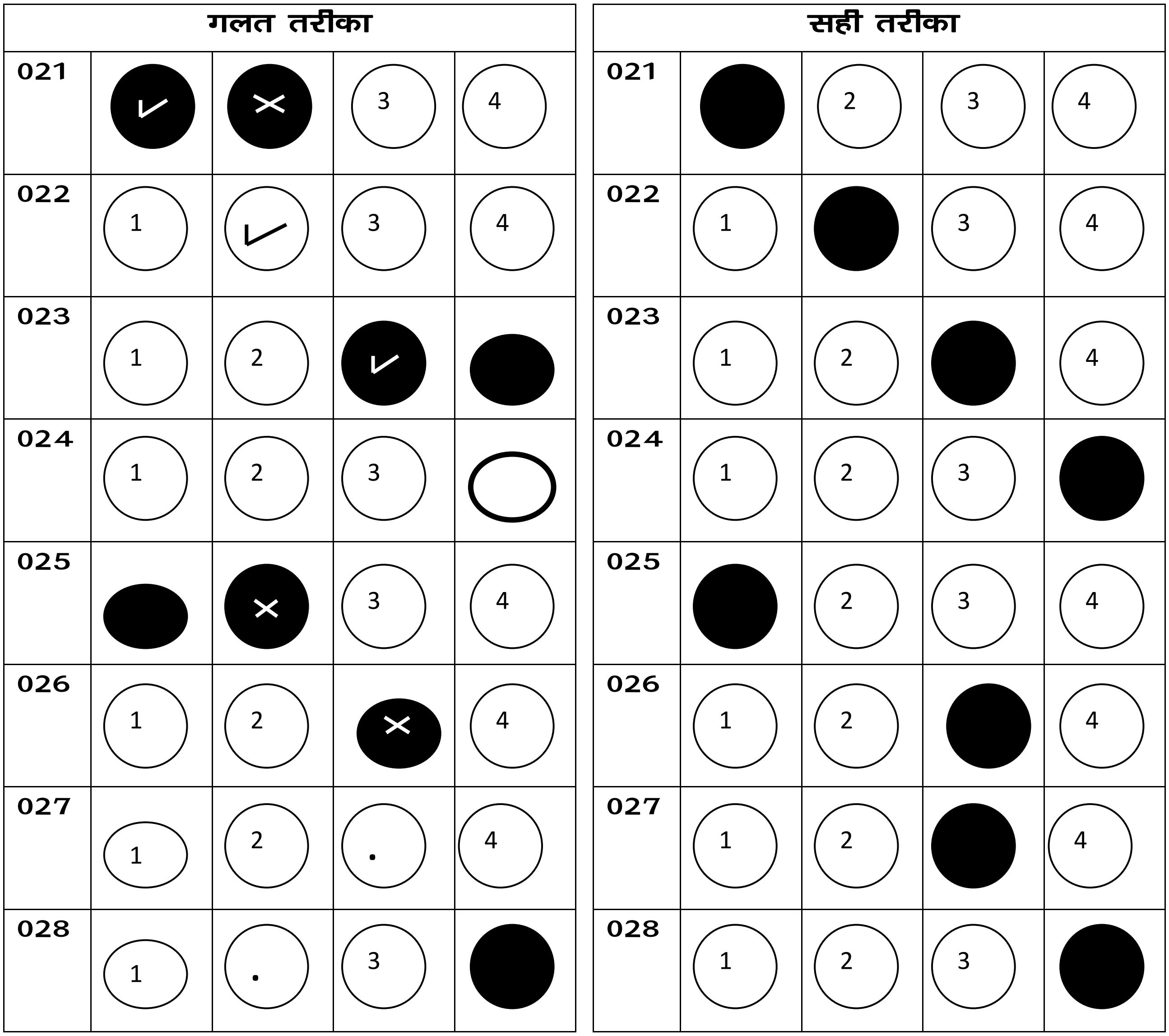

यदि एक से अधिक वृत्तों को गहरा किया जाता है अथवा यदि उत्तर को ऊपर 'गलत तरीके' शीर्षक के अंतर्गत दर्शाए गए किसी तरीके से (अथवा किसी ऐसे ही अन्य तरीके से) गहरा किया जाता है, तो उसे मार्किंग का गलत तरीका माना जाएगा।

11.2.4 अंक दिया जाना तथा नकारात्मक अंक

(क) **प्रत्येक मद के 4 अंक हैं। प्रत्येक सही उत्तर के लिए उम्मीदवार को 4 अंक दिए जाएंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए कुल अंकों में से एक अंक काटा जाएगा।** लेकिन, यदि उत्तर–पुस्तिका में किसी मद के लिए कोई उत्तर नहीं दर्शाया गया है, तो कुल अंकों में से कोई कटौती नहीं की जाएगी। उम्मीदवारों

को परामर्श दिया जाता है कि यदि वे सही उत्तर के विषय में आश्वस्त नहीं हैं, तो वे उत्तर–पुस्तिका में ऐसी मदों का उत्तर देने का प्रयास न करें। **किसी प्रश्न के लिए दर्शाए गए एक से अधिक उत्तरों को भी गलत उत्तर माना जाएगा तथा उसे नकारात्मक अंक दिए जाएंगे।**

(ख) मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए उत्तर–पुस्तिका की साइड–2 पर मुद्रित प्रश्न–पुस्तिका कोड को अंतिम माना जाएगा।

11.2.5 कच्चा (रफ) कार्य

उम्मीदवार उत्तर–पुस्तिका पर किसी भी प्रकार का कच्चा (रफ) कार्य अथवा लेखन कार्य नहीं करेंगे। समस्त कच्चा (रफ) कार्य केवल प्रश्न–पुस्तिका पर ही किया जाना है।

12. मेरिट सूची

(i) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 के अंतर्गत जारी स्नातक चिकित्सा शिक्षा विनियम, 1997 में निर्दिष्ट किए गए अनुसार भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा उपलब्ध कराए गए पात्रता मानदण्डों के आधार पर प्रारंभिक परीक्षा और अंतिम परीक्षा में सफल उम्मीदवारों की सूचियां तैयार करेगा। पात्रता मानदण्ड इस प्रकार हैं:

एमसीआई विनियम के खण्ड (2) से (4) के अंतर्गत, उम्मीदवार को भौतिकी, रसायन–विज्ञान, जीव–विज्ञान/जैव–प्रौद्योगिकी और अंग्रेजी में अलग–अलग उत्तीर्ण होना चाहिए तथा विनियम 4 के खण्ड (2) में यथाउल्लिखित अर्हता परीक्षा में भौतिकी, रसायन–विज्ञान, जीव–विज्ञान/जैव–प्रौद्योगिकी में कुल मिलाकर न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे और साथ ही प्रतियोगी परीक्षा में भौतिकी, रसायन–विज्ञान, जीव–विज्ञान में कुल मिलाकर 50 प्रतिशत से अन्यून अंक प्राप्त करके ऐसी प्रतियोगी प्रवेश परीक्षा के परिणामस्वरूप तैयार की गई मेरिट सूची में भी आना चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों के संबंध में, अर्हक परीक्षा में भौतिकी, रसायन–विज्ञान, जीव–विज्ञान/जैव–प्रौद्योगिकी तथा प्रतियोगी परीक्षा (भौतिकी, रसायन–विज्ञान, जीव–विज्ञान) में प्राप्त किए गए अंक सामान्य उम्मीदवारों के लिए निर्दिष्ट 50 प्रतिशत की तुलना में 40 प्रतिशत होने चाहिए।

इसके अतिरिक्त, निचले अंगों की गतिक–निःशक्तता वाले उम्मीदवारों के लिए, सामान्य–पीएच के लिए न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक, अ.जा.–पीएच/ अ.ज.जा.–पीएच/अ.पि.व.–पीएच के लिए न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त किए जाने

अपेक्षित हैं। यदि कोई उम्मीदवार अर्हक परीक्षा में बैठा है तथा उसका परिणाम अभी घोषित नहीं किया गया है, तो उसे भी प्रतियोगी प्रवेश परीक्षा में बैठने की अनुमति अस्थाई रूप से दी जाएगी और यदि एमबीबीएस कोर्स में उसका चयन हो जाता है, तो उसे तब तक उस कोर्स में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, जब तक कि वह विनियम 4 के अधीन पात्रता मानदण्ड की पूर्ति न कर ले। बोर्ड द्वारा प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों के आधार पर अंतिम परीक्षा के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले सफल उम्मीदवारों की एक सूची तैयार की जाएगी। इसी प्रकार, बोर्ड द्वारा अंतिम परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों के आधार पर मेरिट के क्रम में सफल उम्मीदवारों की सूची भी तैयार की जाएगी। मेरिट सूची 15 प्रतिशत अखिल भारतीय कोटे के अंतर्गत एमबीबीएस/बीडीएस कोर्सो के लिए उपलब्ध सीटों की संख्या के बराबर होगी। मेरिट सूची में शामिल उम्मीदवारों के 100 प्रतिशत के समान एक प्रतीक्षा सूची भी तैयार की जाएगी। व्यक्तिगत उपस्थिति द्वारा सीटों के आवंटन के प्रयोजनार्थ सफल उम्मीदवारों (मेरिट सूची/प्रतीक्षा सूची) की सूची महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं (चिकित्सा परीक्षा प्रकोष्ठ) को अग्रेषित की जाएगी।

(ii) यदि दो अथवा अधिक उम्मीदवार अंतिम परीक्षा में समान अंक प्राप्त करते हैं, तो ऐसे उम्मीदवारों की पारस्परिक मेरिट निम्न अधिमान क्रम के अनुसार अवधारित की जाएगीः

(क) प्रवेश परीक्षा में जीव–विज्ञान (वनस्पति विज्ञान और प्राणि–विज्ञान) में उच्च अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार

(ख) प्रवेश परीक्षा में रसायन–विज्ञान में उच्च अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार

(ग) प्रारंभिक परीक्षा में उच्च अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी।

(घ) अधिक आयु वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जाएगी।

13. परिणाम की घोषणा

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एआईपीएमटी प्रारंभिक और अंतिम परीक्षा आयोजित करेगा, उत्तर–पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करेगा और निम्नलिखित विवरणों के अनुसार परिणाम घोषित करेगाः

(i) प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम अप्रैल, 2012 के तीसरे सप्ताह तक घोषित किया जाएगा तथा उसे बोर्ड की वेबसाइट पर रखा जाएगा। अंतिम परीक्षा के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को वेबसाइट से पृथक प्रवेश–पत्र डाउनलोड

करने के आवश्यकता होगी जिसमें नया रोल नम्बर और अन्य प्रासंगिक विवरण दर्शाए गए होंगे।

(ii) अंतिम परीक्षा का परिणाम जून, 2012 के प्रथम सप्ताह तक घोषित किया जाएगा तथा इसे बोर्ड की वेबसाइट पर रखा जाएगा। बोर्ड भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय, डीजीएचएस और एमसीआई के निदेशों के अनुसार मेरिट सूची/प्रतीक्षा सूची तैयार करेगा।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के परिणाम की पृथक सूची नहीं होगी। जैसे ही परिणाम तैयार हो जाएगा, सीबीएसई परिणाम को वेबसाइट पर दर्शाएगा और तत्पश्चात मेरिट/प्रतीक्षा सूची में रखे गए उम्मीदवार अपने रैंक पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।

अंतिम परीक्षा में बैठने वाले सभी उम्मीदवारों को काउंसलिंग के दूसरे दौर की समाप्ति होने तक बोर्ड तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइटों को अवलोकन करते रहना चाहिए ताकि वे एमबीबीएस/बीडीएस सीटों में हुई वृद्धि के कारण जारी की गई किसी अतिरिक्त मेरिट सूची के विषय में जान सकें।

13.1 उत्तर–पुस्तिकाओं की पुनःजांच/पुनःमूल्यांकन के लिए नियम

मशीन द्वारा मूल्यांकित उत्तर–पुस्तिकाओं का मूल्यांकन अत्यंत सावधानी के साथ किया जाता है तथा उसकी बार–बार संवीक्षा की जाती है। उत्तर–पुस्तिकाओं की पुनःजांच/पुनःमूल्यांकन के लिए कोई व्यवस्था नहीं है।

इस संबंध में किसी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

13.2 विधिक क्षेत्राधिकार

परीक्षा के संचालन तथा सीटों के आवंटन से संबंधित सभी विवाद केवल दिल्ली के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। बोर्ड के सचिव वह विधिक व्यक्ति होंगे जिनके नाम से बोर्ड वाद चला सकेगा अथवा उस पर वाद चलाया जा सकेगा।

14. अभिलेखों की छंटाई संबंधी नियम

अखिल भारतीय प्री–मेडिकल/प्री–डेंटल प्रवेश परीक्षा के अभिलेख परीक्षा के आयोजन के वर्ष के अगस्त माह के दूसरे सप्ताह की समाप्ति तक रखे जाते हैं।

15. **काउंसलिंग के लिए अनुदेशः**

(i) काउंसलिंग महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं द्वारा आयोजित की जाएगी। उम्मीदवार को अंतिम परीक्षा के आयोजन के दौरान, सूचना–विवरणिका प्रदान की जाएगी जिसमें काउंसलिंग के विषय में जानकारी दी गई होगी। यह जानकारी डीजीएचएस की वेबसाइट पर भी उपलब्ध होगी। मेरिट/प्रतीक्षा सूची में रखे गए उम्मीदवारों को परामर्श दिया जाता है कि वे विवरणिका को ध्यानपूर्वक पढ़ें और काउंसलिंग में भाग लेने के लिए उनके द्वारा की जाने वाली कार्यवाही को समझ लें। काउंसलिंग से संबंधित किसी भी प्रश्न को निम्नलिखित पते पर भेजा जा सकता हैः

सहायक महानिदेशक (एमई)
महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं,
निर्माण भवन
नई दिल्ली–110 008
दूरभाष : (काउंसलिंग केन्द्र) 011–23218750, (कार्यालय)23061907

(ii) काउंसलिंग व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने पर वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से अनंतिम रूप से निम्नलिखित केन्द्रों पर आयोजित की जाएगी जिसका मुख्य स्थल सीएचईबी भवन, एवाने ग़ालिब मार्ग, कोटला रोड, माता सुंदरी महिला कॉलेज के सामने, नई दिल्ली–110002 में होगाः

(क) कोलकाता
(ख) चेन्नई
(ग) मुंबई

उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे आवेदन–पत्र पर उपयुक्त स्थान में उनकी काउंसलिंग के स्थान के कोड का उल्लेख करें। काउंसलिंग केवल आवेदन–पत्र में उम्मीदवार द्वारा विकल्प दिए गए स्थान पर ही आयोजित की जाएगी। **किसी भी परिस्थिति में काउंसलिंग के स्थान में परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।**

महत्वपूर्णः

महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं ऑनलाइन काउंसलिंग आयोजित करने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय से अनुमति प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। यदि माननीय न्यायालय ऑनलाइन काउंसलिंग आयोजित करने की अनुमति प्रदान कर देता है, तो उसके विवरण महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं की वेबसाइट www.mohfw.nic.in पर उपलब्ध कराए जाएंगे।